पटना उच्च न्यायालय, पटना

दीवानी रिट सं.- 1688/2010

मदन मोहन प्रसाद सिन्हा, सुपुत्र- स्वर्गीय योगेन्द्र प्रसाद, निवास मोहल्ला कटराहिया, थाना- सदर टाउन, दरभंगा, जिला- दरभंगा

बनाम

1. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलपति के माध्यम से

2. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

3. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

4. वित्त अधिकारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

5. प्राचार्य, विज्ञान महाविद्यालय, दरभंगा

==========

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226

रिट याचिका जिसमें 1976 से पूर्व का भविष्य निधि राशि के भुगतान और उचंत खाते में उपलब्ध राशि को प्राप्त करने के किये प्रार्थना किया गया है। --- राज्य के वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व आवेदन को यथाशीघ्र निपटारा कर दिया जायेगा। निर्णित किया गया कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता के आवेदन को यथाशीघ्र निपटारा करें तथा याचिकाकर्ता को स्वीकार्य बाकी राशि दर संविधिक के साथ लौटा दें।

पटना उच्च न्यायालय, पटना

दीवानी रिट सं.- 1688/2010

मदन मोहन प्रसाद सिन्हा, सुपुत्र- स्वर्गीय योगेन्द्र प्रसाद, निवास मोहल्ला कटराहिया, थाना- सदर टाउन, दरभंगा, जिला- दरभंगा

बनाम

1. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के कुलपति के माध्यम से

2. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

3. कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

4. वित्त अधिकारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा

5. प्राचार्य, विज्ञान महाविद्यालय, दरभंगा

==========

2. **01.02.2010** याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

याची की शिकायत 1976 से पहले खाते में संचित भविष्य निधि राशि के भुगतान और उचंत खाते में उपलब्ध राशि के संबंध में है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उस पर विचार नही किया गया है और याचिकाकर्ता को मामले में प्रतिनिधित्व करने के बावजूद राशि प्राप्त नही हुई है ।

राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का दावा का निपटारा बिना देरी किये कर दिया जायेगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, याची के विद्वान वकील प्रस्तुत करते है कि उसके दावों के शीघ्र निपटारे के लिए, याची प्रत्यर्थी सं.4 के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने का प्रस्ताव करता है ।

इस मामले में, यदि याचिकाकर्ता द्वारा अपने निश्चित दावों को प्रतिनिधित्व के रुप में छह (6) सप्ताह में इस आदेश के प्रमाणिक प्रतिलिपि के साथ अपने सुसंगत कागजातों के साथ दायर किया जाता है तो प्रतिवादी कानून के अनुसार यथाशीघ्र, चार महीनों के अंदर अगर संभव हो तो याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व आवेदन को निपटारा कर देंगे जिसमें स्वीकार्य बाकी संविधिक दर के साथ याचिकाकर्ता को लौटाया जायेगा।

उपरोक्त अवलोकन/निर्देश के आलोक में याचिका का निष्पादन किया जाता है।

मनीष/- **(शैलेश कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)**

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।